

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

दिल्ली, बुधवार नवम्बर 21, 2018/ कार्तिक 30, 1940

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 656

No. 219]

DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2018/ KARTIKA 30, 1940

[N.C.T.D. No. 656

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

(दिल्ली जल बोर्ड)

अधिसूचना

दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

सं0फा0 16(712)/श0वि0/जल/2018/1592.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम (1998 का अधिनियम सं0 4) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बोर्ड सेप्टिक टैंक (सेप्टेज) के अपष्टि के संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए इससे जुड़े प्रासंगिक या सहायक विषयों के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

अध्याय — 1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—

- (क) इन नियमों को दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन विनियम, 2018 कहा जा सकता है।  
(ख) वे विनियम अपनी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :

- (i) 'अधिनियम' का अर्थ दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं0 4);  
(ii) 'बोर्ड' का अर्थ अधिनियम में परिभाषित बोर्ड है;

- (iii) 'सीईओ' का अर्थ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
- (iv) 'सफाई' का अर्थ सेप्टेज को हटाना;
- (v) 'समिति' का अर्थ जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में गठित सेप्टेज प्रबंधन समिति है; समिति के सदस्यों को सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, दिल्ली जल बोर्ड, नगर पालिकाओं आदि से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शामिल किया जा सकता है;
- (vi) 'नामित अधिकारी' का अर्थ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लाइसेंस या किसी अन्य कार्य को जारी करने के लिए अधिकृत दिल्ली जल बोर्ड का एक अधिकारी;
- (vii) 'निपटान' का अर्थ है निर्दिष्ट स्थान पर सेप्टेज का स्थानांतरण;
- (viii) 'जिला मजिस्ट्रेट' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट है, जिसे प्रवर्तन के साथ-साथ इन विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है। वह इन विनियमों के प्रवर्तन और अनुपालन के लिए गठित समिति की अध्यक्षता करेंगे;
- (ix) 'नाली' का अर्थ अधिनियम में यथापरिभाषित;
- (x) 'लाइसेंस' का अर्थ किसी भी व्यक्ति सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, फर्म, भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860 आदि के तहत पंजीकृत संघ आदि सोसायटी एसोसिएशन जो सेप्टेज प्रबंधन की सेवाओं को पूरा करने का इरादा रखती है को उद्देश्य, अवधि, नाम और पता और रूप आदि का उल्लेख करते हुए पूरा करने का इरादा रखती है, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के तहत इस उद्देश्य के लिए दी गई लिखित अनुमति है;
- (xi) 'लाइसेंसधारक' का अर्थ कोई व्यक्ति / विभाग / एजेंसी फर्म जो लाइसेंसधारक है;
- (xii) 'लाइसेंस प्राप्त वाहन' का अर्थ है एक पंजीकृत वाहन जो सफाई, निपटान और सेप्टेज के परिवहन के लिए वैध लाइसेंस रखता है;
- (xiii) 'मैनहोल' का अर्थ एक रास्ता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति निरीक्षण, सफाई और अन्य रख-रखाव संचालन के लिए एक सीवर या अन्य बंद संरचना में प्रवेश कर सकता है जिसे उपयुक्त कवर के साथ लगाया गया है;
- (xiv) 'सदस्य सचिव' का अर्थ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नामित समिति के सचिव;
- (xv) 'अधिसूचित स्थान' का अर्थ डिलीवरी का स्थान और सेप्टेज का निपटान है, जिसे डीजेबी द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है;
- (xvi) 'पीईएमएस अधिनियम-2013' का अर्थ है मैनुअल स्ववेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013 और इसके तहत बनाए गए नियम;
- (xvii) 'जुर्माना' का अर्थ इन विनियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया वित्तीय दंड है;
- (xviii) 'पंजीकृत वाहन' का अर्थ राज्य के परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए विधिवत पंजीकृत वाहन है;
- (xix) 'सेप्टेज' का अर्थ है सेप्टिक टैंक में उत्पादित फेकल कीचड़;
- (xx) 'सेप्टिक-टैंक' एक अंडरग्राउंड टैंक जो ठोस पदार्थों के निपटारे और एनाबोरिक पाच के संयोजन से अपशिष्ट जल का उपचार करता है। अपजल को सोखने वाले पिट या छोटे बोर सीवरों में छोड़ा जा सकता है और ठोस पदार्थों को समय-समय पर पम्प से निकाला जाता है;
- (xxi) 'सीवर' का अर्थ है समुदाय के तरल कचरे को बहाने के प्रयोजन से बनाए गए कंडिट जिसे सीवेज या कीचड़ कहा जाता है;

- (xxii) 'सीवेज पंपिंग स्टेशन (एसपीएस) का अर्थ दिल्ली जल बोर्ड के पंप हाउस से है जहां से सीवेज को वांछित स्थान के लिए पंप किया जाता है;
- (xxiii) 'सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी)' का अर्थ उस स्थान से है जहां दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवेज का उपचार किया जाता है;
- (xxiv) 'स्लज' का अर्थ अर्ध-ठोस स्थिति में स्थिर ठोस पदार्थ है, यह आमतौर पर सेप्टिक-टैंक, तालाब इत्यादि के नीचे जमा ठोस और पानी का मिश्रण होता है। शब्द सीवेज-स्लज आमतौर पर अवशिष्टों को बताने के लिए उपयोग किया जाता है जो केंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार में बच जाते हैं जबकि सेप्टेज शब्द सेप्टिक-टैंक के अवशिष्ट को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है;
- (xxv) 'परिवहन' का अर्थ है लाइसेंस प्राप्त वाहन के माध्यम से कार्यस्थल से नामित निपटान स्थान पर;
- (xxvi) 'उपचार' का अर्थ कोई तकनीकी विधि या प्रक्रिया जो भौतिक रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल स्वरूप को बदलने या अपशिष्ट या अपशिष्ट जल की संरचना प्रदूषण कम करने या रोकने के लिए है;
- (xxvii) 'विक्रेता' का अर्थ उस व्यक्ति/संस्थाओं से है जिसे दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा लाइसेंस दिया गया है;
- (xxviii) 'कर्मि' का अर्थ है कोई व्यक्ति जिसे प्रेषण, परिवहन और सेप्टेज के निपटारे के लिए वेंडर द्वारा लगाया गया हो।

इन नियमों में उपयोग किए गए सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ जो इन विनियमों में ऊपर परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम या इस तत्समय लागू किसी अन्य कानून में क्रमशः अधिनियम या कानून के तहत उन्हें सौंपा गया अर्थ होगा। इसकी अनुपस्थिति में इसका मतलब वही है जो पानी की आपूर्ति और सीवेज उपचार/निपटान उद्योग में सामान्य रूप से समझा जाता है।

## अध्याय – II

### मलकुण्ड सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए लाइसेंस

#### 3. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी अधिसूचित स्थानों के लिए मलकुण्ड के संग्रह और परिवहन के लिए लाइसेंस जारी करेंगे।

- (i) लाइसेंस इन नियमों के अनुलग्नक –(1) में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा और जारी की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता। समाप्ति पर इसका नवीकरण लाइसेंस की शर्तों पर तथा निर्धारित नवीकरण शुल्क भुगतान करके किया जायेगा।

#### 4. लाइसेंस जारी करने के लिए मानदण्ड

- क. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक का मतलब है कि इस नियमावली के खंड (ग) में परिभाषित व्यक्ति/संस्थाएं।
- ख. आवेदक के पास उचित वैक्यूम/चूषण और निपटान व्यवस्था के साथ रिसाव रहित, गंध और स्पिल रहित परिवहन होना चाहिये।
- ग. वाहन को दिल्ली में संचालित करने के लिए परिवहन विभाग का वैध परमिट होगा।
- घ. आवेदक के पास इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मि होंगे।
- ड. कर्मियों को सुरक्षा गियर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस किया जाएगा जो अधिसूचित स्थानों पर मलकुण्ड को सुरक्षित रूप से एकत्रण, परिवहन और निपटान के लिए आवश्यक हैं।

#### 5. लाइसेंस के लिए आवेदन

मलकुण्ड के संग्रह, परिवहन और निपटान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन अनुलग्नक –(2) में संलग्न प्रारूप में, जिसमें नियम और शर्तें शामिल हैं, दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

#### 6. लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों का आमंत्रण

दिल्ली जल बोर्ड अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों और अन्य प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर व्यापक आवेदकों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु व्यापक प्रचार करेगा।

**7. लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क**

दिल्ली जल बोर्ड लाइसेंस देने के लिए आवेदन संसाधित करने के लिए समय-समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क लेगा। शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा और इसे दिल्ली जल बोर्ड के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

**8. निष्पादन गारंटी**

लाइसेंसधारक निर्धारित गारंटी राशि जमा करेगा, जिसे बैंक गारंटी के रूप में समय-समय पर निष्पादन गारंटी के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जो नियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त किया जाएगा।

**9. लाइसेंस प्राप्त विक्रेता का प्रचार**

दिल्ली जल बोर्ड समय-समय पर उन एजेंसियों का अपनी वेबसाइट पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार देगा, जिन्हें मलकुण्ड के संग्रह और परिवहन के कार्य को करने के लिए इन नियमों के तहत लाइसेंस दिया गया है।

**10. जागरूकता अभियान**

दिल्ली जल बोर्ड लोगों को इन नियमों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ केवल लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों को संग्रह, परिवहन और निपटान कार्य में संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता अभियान चलाएगा।

**अध्याय – III**

**11. मलकुण्ड का संग्रह और परिवहन**

सेप्टिक टैंक अपशिष्ट (सेप्टेज) को केवल इन नियमों के अनुलग्नक –(1) में निर्धारित प्रारूप में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी किए गए इस उद्देश्य के लिए वैध लाइसेंस रखने वाले विक्रेता द्वारा एकत्र और परिवहन किया जाएगा।

**12. केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता को ही भवन के मालिक /काबिज कार्य हेतु संलग्न करेंगे**

(क) केवल उन विक्रेताओं की सेवाओं को संलग्न करने के लिए, भवन के प्रत्येक मालिक /काबिज का कर्तव्य होगा जिन्हें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मलकुण्ड के संग्रह और परिवहन के लिए लाइसेंस जारी किया गया है।

(ख) मालिक/काबिज यह पुष्टि करेगा कि विक्रेता को जारी लाइसेंस कार्य के निष्पादन की तारीख पर मान्य है। वह इन नियमों के अनुलग्नक –3 में निर्धारित सेप्टेज संग्रह रिकार्ड फार्म में अपने हस्ताक्षर भी करेगा।

**13. सेप्टेज के संग्रह/परिवहन के लिए शुल्क**

(क) सीवेज पंपिंग स्टेशन/सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अधिसूचित स्थानों तक सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए शुल्क समय-समय पर दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(ख) लाइसेंसधारक समय-समय पर अधिसूचित राशि के अतिरिक्त भवन के मालिक/कब्जे से किसी भी राशि का शुल्क नहीं लेगा।

(ग) अधिसूचित शुल्क से अधिक, सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए शुल्क की कोई मांग लाइसेंसधारक को लाइसेंस रद्द करने और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उस पर निर्धारित जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी बनाती है।

**14. सेप्टेज के परिवहन के लिए वाहन**

सेप्टेज को दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा इन उद्देश्यों के लिए अनुमोदित वाहनों में ही पहुंचाया जाएगा।

**15. परिवहन के दौरान सावधानियां**

लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि निपटारे के लिए अधिसूचित स्थान पर संग्रह बिंदु से परिवहन के दौरान सेप्टेज का कोई रिसाव/छलकाव नहीं होगा।

**16. दुर्घटना के मामले में निवारक उपाय**

वाहन से लेकर वाहन को संग्रह बिंदु से अधिसूचित निपटान स्थान तक वाहन के जाने के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ लगाया जाएगा।

**17. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारक की देयता**

लाइसेंसधारक किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति और पर्यावरण के किसी भी नुकसान के कारण पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

**18. तैनात कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय**

लाइसेंसधारक हाथ से आयोजित गैस-डिटेक्टरों, गैस मास्क, सुरक्षात्मक गीयर, आक्सीजन सिलेंडर और फर्स्ट एड बाक्स आदि के साथ सुरक्षा उपाय लेने के लिए जिम्मेदार होगा और पीईएमएस अधिनियम में निर्दिष्ट अन्य उपाय-2013 और इन विनियमों सहित इसके तहत बनाए गए नियम ।

**19. सेप्टेज का निपटान**

- (क) लाइसेंसधारक समय-समय पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अधिसूचित स्थानों पर केवल सेप्टेज का निपटान करेगा ।
- (ख) लाइसेंसधारक अधिसूचित स्थानों पर सेप्टेज प्राप्त करने के लिए तैनात दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारिक रूप से भरे इन विनियमों के अनुलग्नक-2 में निर्धारित विधिवत् हस्तक्षरित सेप्टेज संग्रह और निपटान फार्म जमा करेगा ।

**20. कर्मियों का प्रशिक्षण**

लाइसेंसधारक संग्रह परिवहन और सेप्टेज के निपटान में तैनात कर्मियों को आवधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा ।

**21. नियमित स्वास्थ्य जांच**

लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि प्रत्येक तैनात कर्मी का प्रतिवर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच पड़ताल कर और दिल्ली जल बोर्ड को इसकी रिपोर्ट जमा करे। ऐसा न होने पर लाइसेंसधारक समय-समय पर अधिसूचित किए गए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

**22. बीमा**

लाइसेंसधारक द्वारा तैनात कर्मियों की सफाई परिवहन तथा निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में 2003 की रिट याचिका सं0 583 में 27.3.2014 के न्यायालय आदेश (सफाई कर्मचारी आंदोलन व अन्य बनाम भारत सरकार) के अनुसार पीड़ित/उसके कानूनी वारिसों को पीईएमएस अधिनियम, 2013 के तहत क्षतिपूर्ति देने के लिए नीमित किया जायेगा ।

**23. लाइसेंस रद्द करना**

इन नियमों सहित पीईएमएस अधिनियम - 2013 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के मामले में लाइसेंसधारक समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। जिसमें लाइसेंस रद्द करना और समिति या नामित अधिकारी की सिफारिश के अनुसार प्रदर्शन गारंटी को जब्त करना शामिल है ।

**अध्याय - IV****सेप्टेज का निपटान****24. निपटान स्थलों की पहचान**

दिल्ली जल बोर्ड उन सीवेज पंपिंग स्टेशनों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की पहचान और अधिसूचना करेगा जहां लाइसेंस विक्रेता द्वारा सेप्टेज का निपटान किया जाएगा ।

**25. सेप्टेज प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण**

बोर्ड, लाइसेंस विक्रेताओं द्वारा लाए गए सेप्टेज के निपटारे की सुविधा के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार करेगा और अधिसूचित स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा ।

**26. सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती**

दिल्ली जल बोर्ड प्रत्येक अधिसूचित स्थानों पर, सीवेज प्राप्त करने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और सीवेज पंपिंग स्टेशनों जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से इसे निपटाने के लिए (पर्याप्त कर्मियों को तैनात करेगा) ।

**27. सेप्टेज प्राप्त करने का समय**

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटों के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान पर तैनात कर्मचारियों द्वारा सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा ।

**28. औद्योगिक अपशिष्ट प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए**

अधिसूचित स्थानों पर औद्योगिक अपशिष्ट युक्त सेप्टेज के निपटान की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

**29. सेप्टेज प्रबंधन में प्रशिक्षण**

अधिसूचित स्थानों पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा तैनात कर्मचारियों को सेप्टेज को प्राप्त करने और निपटाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

### अध्याय – V

#### विविध

#### 30. वाहन पर लाइसेंस और रंग कोडिंग का प्रदर्शन

- (क) लाइसेंस की एक प्रति को सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
- (ख) वाहन / कंटेनर / टैंकर पर लाल रंग में 'सेप्टेज टैंक' (अंग्रेजी में) पीले रंग से 'मल कुंड' (हिन्दी में) सावधानी के साथ लिखा जाएगा।

#### 31. जीपीएस सिस्टम की स्थापना

सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में जीपीएस डिवाइस होगी और जिसमें एक्सेस अधिकार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट तथा उसके द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए दिया जाएगा।

#### 32. विवाद निपटान खंड

इन विनियमों के क्रियान्वयन संबंधी या विषय में पैदा होने वाले किसी विवाद का निपटान दिल्ली में अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानून के अन्तर्गत किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के  
माननीय शहरी विकास मंत्री के आदेश से तथा उनके नाम पर।  
पी.के.शुक्ला, अनुभाग अधिकारी (जल)

### अनुबंध – (1)

#### (देखें विनियम – 3)

#### मलकुण्ड के संग्रह और परिवहन के लिए लाइसेंस

उपनियम / विनियमों के सभी नियमों और शर्तों के अनुसार इस लाइसेंस और लागू नियमों के साथ विशेष लाइसेंस शर्तों एनसीटी सरकार के कानून दिल्ली की अनुमति इस प्रकार दी गई है:

लाइसेंस का नाम .....

पता.....

सेप्टिक टैंक से सेप्टेज के निपटारे के लिए .....डीजेबी के एसपीएस/एसटीपी।

यह लाइसेंस सेप्टेज ट्रांसपोर्टर लाइसेंस आवेदन में दी गई जानकारी पर आधारित है।

यह लाइसेंस नीचे निर्धारित अवधि के लिए प्रभावी है गैर अनुपालन की शर्त के लिए निलंबित या निरस्त किया जा सकता है और हस्तांतरणीय नहीं है। मूल लाइसेंस लाइसेंसधारक के कार्यालय में फाइल पर रखा जाएगा। इस लाइसेंस की एक प्रति लाइसेंसधारक द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक पंजीकृत वाहन में रखी जाएगी।

लागू होने की तिथि.....

समाप्ति तिथि.....

सेप्टेज सिस्टम के संचालन से संबंधित किसी भी अधिनियम, नियम और विनियमों के उल्लंघन या सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन करने, गैर अनुमत निपटान के मामले में लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

मोहर के साथ हस्ताक्षर

## अनुबंध - (2)

## (देखें विनियम - 5)

संग्रह परिवहन और मलकुण्ड के निपटान के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन का फार्म लाइसेंस सेवा में,

-----  
 -----  
 -----

1. आवेदक का नाम: श्री/सुश्री-----
2. राष्ट्रीयता: भारतीय-----अन्य-----
3. पता: पंजीकृत कार्यालय:-----  
मुख्य कार्यालय-----
4. टेलीफोन नंबर (ओ)-----मोबाइल नंबर-----ईमेल आईडीआई
5. वाहन की पंजीकरण संख्या-----
6. वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र तक वैध-----
7. वाहन का बीमा कब तक मान्य है-----
8. वाहन का फिटनेस वैध है -----
9. वाहन की  
वाहन जीपीएस के साथ फिट है या नहीं-----
10. रिसाव रोधी गंध और स्पिल रोधी को इंगित करने वाले वाहनों का विवरण उचित वैक्यूम /चूषण और निर्वहन व्यवस्था (किसी का दस्तावेज प्रमाण संलग्न किया जा सकता है)।
11. लाइसेंस के लिए प्रसंस्करण शुल्क रुपये (जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्धारित (अप्रतिदेय) डी.डी. कोई  
-----दिनांक-----बैंक-----

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि कॉलम 1 से 11 में मुझे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को 1 से 13 तक पढ़ और समझ लिया है और उनके पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई गई है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा।

आवेदकों के हस्ताक्षर

दिनांक-----

संलग्न दस्तावेज की संख्या-----

## अनुबंध – (3)

(देखें विनियम – 12(ख))

संग्रह और परिवहन रिकार्ड

लाइसेंसधारी द्वारा भरने के लिए नमूना फॉर्म

i. अपशिष्ट की पहचान:

(क) मात्रा

(ख) टाइप—

सेप्टिक टैंक —————अन्य

(ग) पता

ii. अपशिष्ट जनरेटर का पता:

(क) नाम

(ख) फोन नं०

(ग) पता

(घ) पिन

अद्योहस्ताक्षरी को विधिवत रूप से अधिकृत किया गया है एतद्वारा स्रोत की सटीकता और एकत्रित परिवहन अपशिष्ट जल का प्रकार प्रमाणित करता हूँ

दिनांक —————हस्ताक्षर (स्रोत के स्वामी / काबित व्यक्ति)

iii. ट्रांसपोर्टर / ऑपरेटर का विवरण:

(क) कम्पनी का नाम

(ख) परमिट संख्या

(ग) वाहन लाइसेंस

(घ) बाहर निकालने की तारीख

उपरोक्त वर्णित अपशिष्ट जल को मेरे द्वारा निम्नलिखित निपटान सुविधा पर एकत्र करके निपटान किया गया था और प्रवाहित किया गया। मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्वोक्त सत्य और सही है।

ड़) अधिकृत एजेंट और मालिक का हस्ताक्षर:—

iv. —————डीजेबी के अधिकृत एसपीएस/एसटीपी द्वारा स्वीकृति

उपर्युक्त ट्रांसपोर्टर ने इस निपटान सुविधा के लिए वर्णित सेप्टेज दिया और इसे स्वीकार कर लिया गया।

निपटान तिथि —————ट्रांसपोर्टर से एकत्र की गई राशि:—

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और स्वामी का हस्ताक्षर:—

नोट: दिल्ली वाटर बोर्ड सेप्टिक टैंक वेस्ट प्रबंधन नियम, 2015 के नियमों और शर्तों के अधीन और समय-समय पर इन नियमों के तहत बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश/दिशानिर्देश।

**नियम और शर्तें**

1. लाइसेंसधारी मान्यता प्राप्त संस्थान या विभाग से प्रशिक्षण के वैध प्रमाण पत्र वाले केवल प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को संलग्न करेगा। लाइसेंसधारक हाथ वाले गैस-डिटेक्टरों, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन-मास्क ऑक्सीजन-सिलेंडर और फर्स्ट एड बॉक्स आदि के साथ सभी सुरक्षा उपाय लेने के लिए जिम्मेदार होगा और पीईएमएस अधिनियम, 2013 में और इन विनियमों के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट अन्य उपाय अपनायेगा।

**2. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस**

दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी अधिसूचित स्थानों पर मलकुंड के संग्रह और परिवहन के लिए लाइसेंस जारी करेंगे।

लाइसेंस इन नियमों के अनुलग्नक – (1) में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा और जारी की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए मान्य होगा, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता।



**3. सेप्टेज के संग्रह /परिवहन के लिए शुल्क**

(क) सीवेज पंपिंग स्टेशन/सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अधिसूचित स्थानों तक सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए शुल्क समय-समय पर दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(ख) लाइसेंसधारक समय-समय पर अधिसूचित राशि के अतिरिक्त भवन के मालिक/कब्जे से किसी भी राशि का शुल्क नहीं लेगा।

(ग) अधिसूचित शुल्क से अधिक, सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए शुल्क की कोई मांग लाइसेंसधारक को लाइसेंस रद्द करने और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उस पर निर्धारित जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी बनाती है।

**4. लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क**

दिल्ली जल बोर्ड लाइसेंस देने के लिए आवेदन संसाधित करने के लिए समय-समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क लेगा। शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा और इसे दिल्ली जल बोर्ड के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

**5. निष्पादन गारंटी**

लाइसेंसधारक निर्धारित गारंटी राशि जमा करेगा, जिसे बैंक गारंटी के रूप में समय-समय पर निष्पादन गारंटी के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जो नियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त किया जाएगा।

**6. सेप्टेज के परिवहन के लिए वाहन**

सेप्टेज को दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा इन उद्देश्यों के लिए अनुमोदित वाहनों में ही पहुंचाया जाएगा।

**7. परिवहन के दौरान सावधानियां**

लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि निपटारे के लिए अधिसूचित स्थान पर संग्रह बिंदु से परिवहन के दौरान सेप्टेज का कोई रिसाव/छलकाव नहीं होगा।

**8. दुर्घटना के मामले में निवारक उपाय**

वाहन से लेकर वाहन को संग्रह बिंदु से अधिसूचित निपटान स्थान तक वाहन के जाने के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ लगाया जाएगा।

**9. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारक की देयता**

लाइसेंसधारक किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति और पर्यावरण के किसी भी नुकसान के कारण पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

**10. तैनात कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय**

लाइसेंसधारक हाथ से आयोजित गैस-डिटेक्टरों, गैस मास्क, सुरक्षात्मक गीयर, आक्सीजन सिलेंडर और फर्स्ट एड बाक्स आदि के साथ सुरक्षा उपाय लेने के लिए जिम्मेदार होगा और पीइएमएस अधिनियम में निर्दिष्ट अन्य उपाय-2013 और इन विनियमों सहित इसके तहत बनाए गए नियम।

**11. सेप्टेज का निपटान**

(क) लाइसेंसधारक समय-समय पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अधिसूचित स्थानों पर केवल सेप्टेज का निपटान करेगा।

(ख) लाइसेंसधारक अधिसूचित स्थानों पर सेप्टेज प्राप्त करने के लिए तैनात दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारिक रूप से भरे इन विनियमों के अनुलग्नक-2 में निर्धारित विधिवत् हस्तक्षरित सेप्टेज संग्रह और निपटान फार्म जमा करेगा।

**12. कर्मियों का प्रशिक्षण**

लाइसेंसधारक संग्रह परिवहन और सेप्टेज के निपटान में तैनात कर्मियों को आवधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

**13. नियमित स्वास्थ्य जांच**

लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि प्रत्येक तैनात कर्मियों का प्रतिवर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच पड़ताल करे और दिल्ली जल बोर्ड को इसकी रिपोर्ट जमा करे। जिसमें विफलता समय-समय पर अधिसूचित किए गए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

**14. बीमा**

लाइसेंसधारक द्वारा तैनात कर्मियों की सफाई परिवहन तथा निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में 2003 की रिट याचिका सं० 583 में 27.3.2014 के न्यायालय आदेश (सफाई कर्मचारी आंदोलन व अन्य बनाम भारत सरकार) के अनुसार पीड़ित/उसके कानूनी वारिसों को पीईएमएस अधिनियम, 2013 के तहत क्षतिपूर्ति देने के लिए नीमित किया जायेगा।

**15. लाइसेंस रद्द करना**

इन नियमों सहित पीईएमएस अधिनियम – 2013 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के मामले में लाइसेंसधारक समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। जिसमें लाइसेंस रद्द करना और समिति या नामित अधिकारी की सिफारिश के अनुसार प्रदर्शन गारंटी को जब्त करना शामिल है।

**16. निपटान स्थलों की पहचान**

दिल्ली जल बोर्ड उन सीवेज पंपिंग स्टेशनों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की पहचान और अधिसूचना करेगा जहां लाइसेंस विक्रेता द्वारा सेप्टेज का निपटान किया जाएगा।

**17. सेप्टेज प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण**

बोर्ड लाइसेंस विक्रेताओं द्वारा लाए गए सेप्टेज के निपटारे की सुविधा के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार करेगा और अधिसूचित स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

**18. सेप्टेज प्राप्त करने के लिए स्टाफ की तैनाती**

दिल्ली जल बोर्ड प्रत्येक अधिसूचित स्थानों पर, सीवेज प्राप्त करने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और सीवेज पंपिंग स्टेशनों, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से इसे निपटाने के लिए (पर्याप्त स्टाफ को तैनात करेगा)।

**19. सेप्टेज प्राप्त करने का समय**

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटों के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान पर तैनात कर्मचारियों द्वारा सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

**20. औद्योगिक अपशिष्ट प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए**

अधिसूचित स्थानों पर औद्योगिक अपशिष्ट युक्त सेप्टेज के निपटान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**21. सेप्टेज प्रबंधन में प्रशिक्षण**

अधिसूचित स्थानों पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा तैनात कर्मचारियों को सेप्टेज को प्राप्त करने और निपटाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

**22. वाहन पर लाइसेंस और रंग कोडिंग का प्रदर्शन**

(क) लाइसेंस की एक प्रति को सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

(ख) वाहन / कंटेनर/टैंकर पर लाल रंग में 'सेप्टेज टैंक' (अंग्रेजी में) पीले रंग से 'मल कुंड' (हिन्दी में) सावधानी के साथ लिखा जाएगा।

**23. जीपीएस सिस्टम की स्थापना**

सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में जीपीएस डिवाइस होगी और जिसमें एक्सेस अधिकार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट तथा उसके द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए दिया जाएगा।

**24. लाइसेंस के लिए आवेदन**

संग्रह, परिवहन और सेप्टेज के निपटारे के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संलग्न अनुलग्नक-2 प्रारूप में जमा किया जाएगा: –

- i) विधिवत भरने के लिए ऊपर में उपलब्ध प्रारूप।
- ii) पंजीकरण संख्या और निर्माण के वर्ष के साथ वाहनों की संख्या की सूची।
- iii) परिवहन प्राधिकरण से प्राप्त वाहनों की मान्य परमिट की स्व-प्रमाणित प्रति।

- iv) सूचना के लिए पते के सबूत की स्व प्रमाणित प्रति।
- v) वाहन चालक, सहायक उपकरण जैसे वाहन चालक, सहायक आदि की सूची।
- vi) प्रत्येक वाहन के साथ सुरक्षित उपकरणों की सूची
- vii) दिल्ली जल बोर्ड के पक्ष में तैयार प्रति वाहन डीडी/वेतन आदेश (समय-समय पर निर्धारित अनुसार) के रूप में आवेदन शुल्क।
- viii) दिल्ली जल बोर्ड के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन गारंटी (निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अधिसूचित) केवल प्रति वाहन।
- ix) आवेदक आवेदन जमा करने के समय वाहनों के परमिट और सत्यापन के लिए पता प्रमाण के मूल दस्तावेजों को साथ लाएं।
- मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने उपर्युक्त नियम और शर्तों को स्पष्ट रूप से समझा है और मैं/हम इसके पालन करने के लिए पूरी तरह से सहमत हूँ।

दिनांक:  
स्थान:

नाम  
पता  
संपर्क संख्या:

सीवर लाइनों, सेप्टिक टैंक और बंद गड्ढे में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए संशोधित मानक ऑपरेटिंग अभ्यास:

1. पृष्ठभूमि: माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 21.08.2017 को दिल्ली में सीवर श्रमिकों की कई मौतों का संज्ञान लेने के लिए एक बैठक बुलाई। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मैनुअल स्वेवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम – 2013 के तहत सफाई करने, नालियों के अवरोध, सेप्टिक टैंक, सीवर इत्यादि को हटाने के लिए जरूरी अनिवार्य कार्यों के बारे में जागरूकता की कमी पर चिंता व्यक्त की। “ पेम्स अधिनियम –2013 “अनुलग्नक –1 के रूप में संलग्न है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय डब्ल्यूपी (सी) 583/2003 ने इस संबंध में भी निर्णय दिया है जिसे अनुलग्नक –2 के रूप में जोड़ा गया है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तीन कार्यकारी समिति गठित की जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दिल्ली जल बोर्ड), आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम) और अध्यक्ष (नई दिल्ली नगर परिषद) शामिल थे। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है जो पीईएमएस अधिनियम –2013 के प्रावधानों के अनुसार कर्मियों को दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नाली, सीवर, सेप्टिक टैंक इत्यादि में अवरोध को हटाने के कार्य में लगे कर्मियों के सामान्य सुरक्षा उपायों के अंतर्गत दी गई है।

2. क्षेत्राधिकार:

क्र० सं०	कार्य क्षेत्र	उत्तरदायी अधिकारी/विभाग
1	सीवर वाले क्षेत्रों में समस्त सीवरेज तंत्र जिसका अनुरक्षण दिल्ली नगर निगम सीमाओं में दिल्ली जल बोर्ड करता है।	दिल्ली जल बोर्ड
2	सीवर लाइन, प्राइवेज सेप्टिक टैंक/बंद गड्ढे, दिल्ली छावनी क्षेत्र में	दिल्ली छावनी बोर्ड
3	सीवर लाइन/सेप्टिक टैंक, यदि कोई है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की सीमा में अनुरक्षित	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद
4	प्राइवेज व्यक्तियों द्वारा निर्मित सभी सेप्टिक टैंक तथा घरों के सीवर कनेक्शन आदि जहां की सीवर लाइन का रखरखाव दिल्ली जल बोर्ड नहीं करता।	समस्त नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि तथा प्राइवेट व्यक्ति जो परिषदों के स्वामी है।
5	अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां/मॉल/ निजी अस्पताल आदि	निवासी कल्याण संघ/परिसर के स्वामी
6	सरकारी परिसर	परिसर के अनुरक्षक संबंधित अधिकरण जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, सी0पी0डब्ल्यू0डी0, सभी नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड आदि,

3. प्रक्रिया:

क, सीवर वाले क्षेत्रों में काम करना:

सीवर लाइन में अवरोध के संबंध में कार्य की कोई शिकायत, सूचना प्राप्त करने के बाद, मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया को अपनाया जाएगा: -

जहां तक संभव हो, मैनुअल स्वेवेंजर्स के रूप में रोजगार निषेध (पीईएमएस) अधिनियम 2013 के नियम 3 (1) के अनुपालन में, मैनुअल सफाई कार्य से बचा जाना चाहिए। सीवर लाइन के सभी रखरखाव कार्यों को पूरी तरह से यांत्रिक मशीनरी पर स्विच करना होगा। यदि, श्रमिकों के लिए मैनहोल में जाना जरूरी है, तो सभी सुरक्षा उपायों के बाद केवल प्रशिक्षित श्रमिकों को यह कार्य सौंपा जाएगा।

1. पीईएमएस अधिनियम 2013 के नियम 6 (3) जे के अनुपालन में सहायक अभियंता (ईई)/कनिष्ठ अभियंता (जेई)/पर्यवेक्षक के पास एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, पास के अस्पतालों के सभी आपातकालीन नम्बर होंगे किसी भी दुर्घटना के मामले में तत्काल राहत प्रदान की जा सके।

2. पीईएमएस अधिनियम 2013 के नियम 6 (3) ए के अनुपालन में कम से कम तीन कर्मी और स्वच्छता निरीक्षक (एसआई)/सेनेटरी इंस्पेक्टर (एसआई) कनिष्ठ अभियंता (जेई) के पद से कम नहीं होंगे, के साथ पर्यवेक्षक होना चाहिए। इन सभी श्रमिकों को अवरोध, सफाई आदि को हटाने के काम में भाग लेने से पहले ऊपर उल्लिखित सभी को पर्यवेक्षी स्टाफ के पास अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

3. सीवर मैनहोल में प्रवेश करने से पहले, पीईएमएस अधिनियम 2013 के नियम 6 (3) क्यू आर, एस के अनुपालन में, कार्यस्थल के दोनों तरफ (डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम) पर दो या तीन मैनहोल के मैनहोल कवर खोले जाएंगे और अन्य व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए दोनों तरफ से साइन बोर्ड के साथ बार्कड किया जाएगा। ये मैनहोल प्रवेश से कम से कम एक घंटे पहले खुला रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी जहरीली गैस उत्सर्जित हो जाएं। इन मैनहोलों के नजदीक किसी अनधिकृत व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी। अग्नि और धूम्रपान मैनहोल के पास और उसके आस-पास सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा।

4. पीईएमएस अधिनियम 2013 के नियम 7 (प) के अनुपालन में, सीवर लाइन को हवादार करने के लिए मैनहोल में काम करने से पहले और दौरान मैनहोल के दोनों तरफ ब्लोवर/एडजास्टफैन को रखा जाएगा। मैनुअल स्कावेनिंग नियम, 2013 में प्रदान किए गए सभी सुरक्षा गैजेट कार्य स्थल पर उपलब्ध होना चाहिए और उपयोग से पहले पर्यवेक्षक द्वारा उनकी कार्यक्षमता की जांच की जानी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, एम्बुलेंस या विभागीय वाहन को प्राथमिक सहायता प्रदान करने या दुर्घटना के मामले में अस्पताल ले जाने के लिए कार्य स्थल के पास उपलब्ध होना चाहिए।

5. नियम 6 (3) बी के अनुपालन में, यह ईई/जेई/पर्यवेक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मियों को अंदर जाने की इजाजत देने के लिए सीवर लाइन के अंदर कोई जहरीला गैस मौजूद नहीं है। गैसों की सीमा निम्नानुसार सारणीबद्ध है: -

क्र० सं०	गैस	एक घंटे संपर्क की न्यूनतम सीमा	आठ घंटे संपर्क की अधिकतम सीमा
1	सीओ	0.04 प्रतिशत वायु की मात्रा से	0.005 प्रतिशत वायु की मात्रा से
2	एच 2 एस	0.02 प्रतिशत वायु की मात्रा से	0.001 प्रतिशत वायु की मात्रा से
3	सी एच 4	संभवतः की सीमा नहीं दी है आक्सीजन पर्याप्त प्रतिशत है	1 प्रतिशत वायु की मात्रा से
4	ओ 2	आक्सीजन स्तर 19.5-21 प्रतिशत वायु की मात्रा से	

6. अनुलग्नक -3 में संलग्न कार्य परमित पर्यवेक्षक द्वारा सभी गैसों की जांच करने और सभी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के बाद कर्मी को जारी किया जाएगा।

7. पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में कार्यस्थल में उतरने की अनुमति देने वाले प्रत्येक कर्मी के लिए कार्यस्थल के पास जमीन पर कम से कम दो सहायक प्रदान किए जाएंगे। किसी भी कर्मी को मैनहोल के अंदर जाने की अनुमति देने से पहले, पर्यवेक्षक पीईएमएस अधिनियम -2013 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यकर्ता की फिटनेस, सभी सुरक्षा गैजेटों का उपयोग और अनुमत सीमा के भीतर सभी गैसों की उपस्थिति की जांच करेगा।

8. मैनहोल के कगार पर किसी भी सामग्री का ढेर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो मैनहोल के अंदर गिर सकती है और कर्मियों को नुकसान पहुंचा सकती है।

9. निम्नलिखित सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरण पीईएमएस अधिनियम -2013 की धारा (2) के उपधारा (1) के खंड (डी) में उल्लिखित कार्य स्थल पर उपलब्ध होंगे: -

- (i) सुरक्षा शरीर के कपड़े/सुरक्षा शरीर दोहन/सुरक्षा बेल्ट,
- (ii) सामान्य चेहरा मास्क,
- (iii) सुरक्षा मशाल,

- (iv) हाथ दस्ताने,
- (v) सुरक्षा गोगल्स,
- (vi) सुरक्षा हेलमेट,
- (vii) आपातकालीन चिकित्सा ऑक्सीजन त्मेनेबपजंजवत किट,
- (viii) गैस मॉनिटर,
- (ix) हेड लैंप,
- (x) प्रतिबिंबित जैकेट,
- (xi) गाइड पाइप सेट,
- (xii) सुरक्षा ट्राइपोड सेट,
- (xiii) वाडर सूट,
- (xiv) क्लोरीन मास्क,
- (xv) एयर कंप्रेसर और ब्लोअर,
- (xvi) मॉड्यूलर एयरलाइंस आपूर्ति ट्रॉली सिस्टम,
- (xvii) पूर्ण चेहरा मुखौटा,
- (xviii) सुरक्षा गुंबूट,
- (xiv) रेनकोट।

10. जैसे ही, कर्मी को चेन, चरखी या सीढ़ी की मदद से उतारा जाता है, पर्यवेक्षक, कर्मी की गतिविधि का निरीक्षण करेगा और यदि कर्मी असहज है, तो उसे तत्काल बाहर निकाला जाएगा। यदि कर्मी फुटरेस्ट के माध्यम से नीचे उतर रहा है, तो यह जांचना चाहिए कि क्या सभी फुटरेस्ट ठीक से जुड़े हैं और ट्रिपॉड में लगी चरखी ठीक लगी है।

11. अचानक हवा को पानी के स्तर और संभावित बाढ़ में वृद्धि की चेतावनी के रूप में माना जा सकता है। इसके बाद, कर्मी को तुरंत कार्यस्थल से वापस निकाल लिया जाएगा।

12. यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैस आवश्यक दबाव पर उपलब्ध है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच की जाएगी और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में सभी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और समाप्ति तिथि का सुनिश्चित किया जायेगा।

13. कर्मी को एक बार में 15 मिनट से अधिक मैनहोल के अंदर रहने अनुमति नहीं दी जाएगी। उच्च तापमान के मामले में, इस प्रकार के काम से बचा जाना चाहिए।

14. पर्यवेक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेप्टिक टैंक/सीवर की सफाई के लिए कार्यरत कर्मी ने अल्कोहल नहीं ली है या किसी अन्य दवा के प्रभाव में नहीं है।

15. मैनहोल/कार्यस्थल के पास जमीन के स्तर पर खड़े दो सहायक सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और कर्मी की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित करने के लिए मैनहोल के अंदर उसके साथ बात करते रहेंगे।

16. काम पूरा होने के बाद, कर्मी एंटीसेप्टिक साबुन और सरसों के तेल से मालिश के साथ स्नान करेगा।

17. काम पूरा होने के बाद, सभी मैनहोल ठीक से ढके जाएंगे और साइट को हर प्रकार से साफ किया जाएगा।

18. ठेकेदार द्वारा सफाई के लिए तैनात कर्मी की, सीवर, टैंक, नालियों इत्यादि के अवरोध को हटाने की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के लिए ठेकेदार द्वारा न्यूनतम 10 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा। 2003 के रिट याचिका छव583 में 'चूडै 1बू- 2013' और उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 27.03.2013 के अनुसार सफाई, परिवहन और सेप्टेज का निपटान किया जायेगा।

ख. सीवर रहित क्षेत्रों में काम करना:

चूंकि दिल्ली के एनसीटी सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर पूरा क्षेत्र सीवरज सिस्टम में नहीं है: इसलिए, इन क्षेत्रों में, ठोस अपशिष्ट को नालियों या सेप्टिक टैंकों के माध्यम से निकाला जा रहा है। निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के परिसर के भीतर सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मौत की घटनाएं हुई हैं। इन क्षेत्रों के लिए मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया निम्नानुसार है:

1. क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के साथ पंजीकृत केवल लाइसेंस धारक खविक्रेता) से संबंधित क्षेत्र में सेप्टिक टैंक, नालियों आदि से सेप्टेज/कीचड़ की सफाई, परिवहन और निपटान करें। इन विनियमों के प्रवर्तन को जिला मजिस्ट्रेट उप-आयुक्त (राजस्व), की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा हालांकि, जिला मजिस्ट्रेट विभिन्न सरकारी/नगर पालिकाओं/सार्वजनिक उपक्रमों से कमेटी के सदस्यों को शामिल करता है। दिल्ली जल बोर्ड के समिति सदस्य इसके सदस्य सचिव का काम करेंगे।

2. लाइसेंस विक्रेता मान्यता प्राप्त संस्थान या विभाग से प्रशिक्षण के वैध प्रमाण-पत्र वाले प्रशिक्षित श्रमिकों को संलग्न करेगा। विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेगा कि पीईएमएस नियम -2013 में निर्दिष्ट सुरक्षा गैजेट उपलब्ध हैं और कार्यस्थल पर उपयोग

किए जाते हैं। इसके अलावा यदि कर्मी सफाई, अवरोध आदि को हटाने के लिए नीचे उतरता है तो भाग-ए में मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया लागू होगी।

3. भवन के प्रत्येक मालिक/काबिज को केवल उन विक्रेताओं से सेवा प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिनके पास दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी वैध लाइसेंस है।
4. मालिक/अधिकारी यह पुष्टि करेगा कि विक्रेता को जारी लाइसेंस कार्य के निष्पादन की तारीख पर मान्य है। वह संग्रह रिकॉर्ड में उसके हस्ताक्षर भी संलग्न करेगा और विक्रेता अनुबंध में परिवहन रिकॉर्ड पर भी अपना हस्ताक्षर करेगा।
5. एसपीएस/एसटीपी में अधिसूचित स्थानों तक सेप्टिक टैंक अपशिष्ट (सेप्टेज) के संग्रह और परिवहन के लिए शुल्क और साथ ही साथ सेप्टेज के निपटारे के लिए स्थान दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
6. लाइसेंसधारी विक्रेता, के पास उपरोक्त सुरक्षा उपकरण न होने पर या वह संग्रह और परिवहन के लिए दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि से अधिक शुल्क की मांग करता है तो लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।
7. सेप्टेज को दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित वाहनों में ही पहुंचाया जाएगा।
8. लाइसेंसधारक विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह बिंदु से निपटारे के लिए अधिसूचित स्थान तक परिवहन के दौरान सेप्टेज का कोई रिसाव/छलकाव नहीं है,।
9. संग्रह बिंदु से अधिसूचित निपटान स्थान तक वाहन के आवागमन के दौरान किसी दुर्घटना के कारण सेप्टेज ले जाने वाले वाहन में प्रदूषण की देखभाल करने के लिए आवश्यक उपकरण लगाए जायेंगे।
10. लाइसेंसधारक विक्रेता किसी दुर्घटना या आपदा के मामले में किसी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति और पर्यावरण को किसी भी नुकसान के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।
11. लाइसेंसधारी विक्रेता हाथ गैस डिटेक्टरों, गैस मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि सभी तरह के अन्य उपायों के साथ दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा उपायों के लिए उत्तरदायी होगा सफाई, संग्रह और सेप्टेज के परिवहन के लिए तैनात लोगों के लिए लाइसेंसधारक देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी।
12. लाइसेंसधारक विक्रेता अधिसूचित समय के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित स्थानों पर केवल सेप्टेज का निपटान करेगा।
13. यह लाइसेंसधारक विक्रेता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिसूचित स्थानों पर कोई औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा नहीं किया जाता है।
14. अधिसूचित स्थानों के अलावा यदि किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता को सेप्टेज डंपिंग करते हुए पाया गया तो उस पर 50,0000/-रुपये जुर्माना समय-समय पर अधिसूचित जुर्माना लगाया जायेगा। लाइसेंस दो डिफॉल्ट के बाद रद्द कर दिया जाएगा।
15. लाइसेंसधारक विक्रेता पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए बचाव उपकरणों के उपयोग, संग्रह, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मचारियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
16. लाइसेंसधारक विक्रेता यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि हर व्यक्ति की प्रतिवर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच-पड़ताल होगी और वह लाइसेंस के नवीनीकरण के समय दिल्ली जल बोर्ड के नामित अधिकारी को इसका रिकॉर्ड जमा करेगा।
17. लाइसेंसधारी विक्रेता द्वारा तैनात कर्मी के मुआवजा के लिए कम से कम 10 लाख रुपए के लिए बीमा किया जाएगा सफाई, परिवहन और सेप्टेज के निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना के स्थिति में भुगतान की जाने वाली राशि चूडै 100 2013 और 2003 के रिट याचिका छव583 में न्यायालय आदेश दिनांक 27.03.2013 के अनुसार दी जायेगी।
18. लाइसेंस की एक प्रति सेप्टेज के परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन में सामने लगी होगी। वाहन/कॉटेनर/टैंकर पर सावधानी के लिए लाल रंग में "मलकुंड" (अंग्रेजी) तथा पीले रंग में "मलकुंड" हिन्दी में लिखा जायेगा।

**अनुबंध – (4)**  
**संग्रह और परिवहन रिकार्ड**

लाइसेंसधारी द्वारा भरने के लिए नमूना फॉर्म

i. अपशिष्ट की पहचान:

क) मात्रा

ख) टाइप-----

सेप्टिक टैंक -----अन्य

ग) पता

ii. अपशिष्ट जनरेटर का पता:

क) नाम

ख) फोन नं०

ग) पता

घ) पिन

अद्योहस्ताक्षरी को विधिवत रूप से अधिकृत किया गया है एतद्वारा स्रोत की सटीकता और एकत्रित परिवहन अपशिष्ट जल का प्रकार प्रमाणित करता हूं

दिनांक -----हस्ताक्षर (स्रोत के स्वामी / काबित व्यक्ति)

iii. ट्रांसपोर्टर / ऑपरेटर का विवरण:

क) कम्पनी का नाम

ख) परमिट संख्या

ग) वाहन लाइसेंस

घ) बाहर निकालने की तारीख

उपरोक्त वर्णित अपशिष्ट जल को मेरे द्वारा निम्नलिखित निपटान सुविधा पर एकत्र करके निपटान किया गया था और प्रवाहित किया गया। मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्वोक्त सत्य और सही है।

ड़) अधिकृत एजेंट और मालिक का हस्ताक्षर:-----

iv. -----दिल्ली जल बोर्ड के अधिकृत एसपीएस/एसटीपी द्वारा स्वीकृति

उपर्युक्त ट्रांसपोर्टर ने इस निपटान सुविधा के लिए वर्णित सेप्टेज दिया और इसे स्वीकार कर लिया गया।

निपटान तिथि -----ट्रांसपोर्टर से एकत्र की गई राशि-----

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और स्वामी का हस्ताक्षर-----

**नोट:** दिल्ली वाटर बोर्ड सेप्टिक टैंक वेस्ट प्रबंधन नियम 2015 के नियमों और शर्तों के अधीन और समय-समय पर इन नियमों के तहत बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश/दिशानिर्देश।

**URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT**

**(DELHI JAL BOARD)**

**NOTIFICATION**

Delhi the 12th November, 2018

**No.16(712)/UD/W/2018/1592.**—In exercise of powers conferred by Section 109 of the Delhi Water Board Act, (Act No. 4 of 1998), the Board hereby makes the following Regulations, for collection, transportation and disposal of waste of septic tanks (septage) and for matters connected therewith and incidental or ancillary thereto namely.

## CHAPTER – I

## Preliminary

**1. Short - Titles and Commencements:**

- (i) These Regulations may be called ‘Delhi Water Board Septage Management Regulations 2018’
- (ii) These Regulations shall come into force on the date their publication in the Delhi Gazette.

**2. Definitions:**

- (i) ‘Act’ means the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act NO. 4 of 1998);
- (ii) ‘Board’ means the Board as defined in the Act;
- (iii) ‘CEO’ means the Chief Executive Officer of the Board;
- (iv) ‘Cleaning’ means removal of septage;
- (v) ‘Committee’ means the Septage Management Committee constituted in each District headed by the District Magistrate; the Members of the Committee may be co-opted by the District Magistrate from Government Departments, Public Undertakings, Municipalities etc. including Delhi Jal Board.
- (vi) ‘Designated Officer(s)’ means an officer of Delhi Jal Board authorized by Chief Executive Officer to issue license or any other work assigned to him;
- (vii) ‘Disposal’ means transfer of septage to a designated location;
- (viii) ‘District Magistrate’ means the District Magistrate of the area appointed by the Government. of National Capital Territory of Delhi and authorized to ensure the enforcement as well as compliance of these Regulations. He/she shall head the Committee constituted for enforcement and compliance of these Regulations;
- (ix) “Drain” means as board as defined in the act.
- (x) “License” means a written permission granted for this purpose to any person, Government. department, public undertaking, local bodies, firm, company registered under the Indian Companies Act, Associations, Society registered under Society Registration Act-1860 etc. intend to carry out the services of septage management having mentioned the purpose, period, name and address, route etc. under the signature of the authorized signatory of the Delhi Jal Board;
- (xi) “Licensee” means any person /department /agency firm holding license.
- (xii) ‘Licensed vehicle’ means a registered vehicle carrying valid license for cleaning, disposal and transportation of septage;
- (xiii) “Manhole” means an opening through which a man may enter or leave a sewer or other closed structure for inspection, cleaning and other maintenance operations, fitted with a suitable cover;
- (xiv) ‘Member Secretary’ means Secretary of the Committee nominated by the Chief Executive Officer, Delhi Jal Board;
- (xv) “Notified location” means the location of delivery and disposal of septage, as defined and earmarked by Delhi Jal Board.



- (xvi) 'IN PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION Act-2013' means Prohibition of Employment as Manual Scavenger and their Rehabilitation Act-2013 and Rules made there under.
- (xvii) 'Penalty' means financial punishment imposed for violation of these Regulations.
- (xviii) 'Registered Vehicle' means a vehicle duly registered by the Transport Authority of the State to perform the designated purpose;
- (xix) "Septage" means fecal sludge produced in septic tanks;
- (xx) "Septic-Tank" An underground tank that treats wastewater by a combination of solids settling and anaerobic digestion. The effluents may be discharged into soak pits or small bore sewers and the solids have to be pumped out periodically.
- (xxi) "Sewers" means conduits provided for the purposes of carrying the liquid wastes of the community, otherwise known as sewage or sludge.
- (xxii) "Sewage Pumping Station (SPS)" means the pump-house of Delhi Jal Board from where Sewage is pumped to a desired location.
- (xxiii) "Sewage Treatment Plant (STP)" means the place where Sewage is treated by Delhi Jal Board.
- (xxiv) "Sludge" means the settled solid-matter in semi-solid condition, it is usually a mixture of solids and water deposited at the bottom of Septic-tank, ponds etc. The term sewage- sludge is generally used to describe residuals from centralized waste water treatment while the term Septage is used to describe the residual from septic tank.
- (xxv) 'Transportation' means safe transfer of septage through licensed vehicle from the place of work to the designated disposal location;
- (xxvi) "Treatment" means any Technical method or process Design to alter the physical, chemical or biological and radiological character or composition of any waste or waste water to reduced or prevent pollutions.
- (xxvii) 'Vendor(s)' means the person/entities that have been granted license by the Designated Officer of Delhi Jal Board.
- (xxviii) 'Worker(s)' means any person engaged by the Vender(s) for removal, transportation and disposal of septage.

All other words and expressions used in these Regulations and not defined in these regulations and not defined herein above but defined in the Act or any other law for the time being in force shall have the meaning respectively assigned to them under the Act or law and in absence thereof, the meaning as commonly understood in the water supply and sewage treatment / disposal industry.

## CHAPTER-II

### LICENSE FOR COLLECTION AND TRANSPORTATION OF SEPTAGE

#### 3. License to be issued by the Delhi Jal Board.

Designated officer(s) of Delhi Jal Board will issue License for Collection and Transportation of Septage to notified locations.

(i) License will be issued in the format, prescribed in **Annexure –(1)**, of these Regulations and will be valid for a period of five years from the date of issue, unless revoked earlier, and shall be renewable on its expiry subject to fulfilment of terms and conditions by the Licensee and on payment of fee prescribed for renewable.

#### **4. Criteria for issue of License**

- a. The eligible applicant for obtaining the license means the person/entities as defined in regulation-2 clause (x) of these Regulations.
- b. The applicant should own leak-proof, odour and spill proof transporting vehicle (s) with a proper vacuum/ suction and discharging arrangement.
- c. The vehicle will have a valid permit of the Transport Department to operate in Delhi.
- d. The applicant shall have workers adequately trained for this purpose.
- e. The workers shall be equipped with safety gears and other protective equipment required to safely collect, transport and dispose of the Septage at the notified locations.

#### **5. Application for License**

The application for obtaining License for collection, transportation and disposal of Septage shall be submitted in prescribed format appended as annexure **Annexure –(2)** including Terms and Conditions and with such documents as prescribed by the Designated Officer (s) of Delhi Jal Board.

#### **6. Invitation of Applicants to apply for License.**

Delhi Jal Board shall give wide publicity on its web site and through leading Newspapers and other print and electronic media periodically, inviting prospective applicants to apply for the License.

#### **7. Application Fee for the License**

Delhi Jal Board shall charge application fee as prescribed from time-to-time for processing the application to grant the License. The fee will be Non-refundable and the same can be paid electronically or by Demand Draft in favour of Delhi Jal Board.

#### **8. Performance Guarantee.**

The Licensee shall deposit prescribed amount, notified from time-to-time as performance Guarantee, in the form of Bank Guarantee which will be forfeited in case of any violation under the Regulations.

#### **9. Publicity of the Licensed Vendor(s).**

The Delhi Jal Board will periodically give wide publicity to the Agencies on its website as well as through print and electronic media, who have been granted License under these Regulations to undertake the work of collections and transportation of Septage.

#### **10. Awareness Campaign**

The Delhi Jal Board will undertake an awareness campaign to make the people aware of these Regulations as well as the need to engage only the Licensed agencies for collection, transportation and disposal of Septage.

## CHAPTER-III

**11. COLLECTION AND TRANSPORTATION OF SEPTAGE**

Septic Tank Waste (Septage) shall be collected and transported only by vendor(s) having a valid License for this purpose issued by the Delhi Jal Board in the format prescribed at Annexure-(1) of these Regulations.

**12. Owner/occupier of Building to engage only Licensed vendor(s).**

- (a) It shall be the duty of each owner/occupier of the building to engage the services of only those vendor(s) who has been issued License by the Delhi Jal Board for collection and transportation of Septage.
- (b) The owner/occupier shall confirm that the License issued to the vendor(s) is valid on the date of execution of work. She/he shall also append her/his signature to the collection of septage record form prescribed at Annexure-3 of these Regulations.

**13. Fee for Collection/Transportation of Septage.**

- (a) The fee for collection and transportation of Septage up to notified locations at Sewage Pumping Station(s)/Sewage Treatment Plant(s) shall be as notified by the Designated officer of Delhi Jal Board from time to time.
- (b) Licensee shall not charge any amount from the Owner/Occupier of the Building in excess to the amount notified from time to time.
- (c) Any demand for fee for collection and transportation of Septage in excess of the notified fee shall make the Licensee liable for cancellation of License and imposition of penalty prescribed for violation of these Regulations.

**14. Vehicles for Transportation of Septage.**

The Septage shall be transported only in the Vehicles approved for these purposes by the Designated Officer of Delhi Jal Board.

**15. Precautions during Transportation.**

The Licensee shall ensure that there will be no leakage/spillage of the Septage during transportation from the collection point to the notified location for disposal.

**16. Preventive Measure in Case of Accident.**

The vehicle carrying Septage shall be fitted with required equipments to avoid the pollution during the movement of the vehicle from Collection point to the notified disposal location.

**17. Liability of Licensee in the Eventuality of Accident.**

The Licensee shall be fully and solely liable for any damage cause to any person, vehicles, property and environment in the eventuality of any accident or disaster and shall be liable on its own to pay any damage charges /compensation, if any imposed by the authority /court of law there to, to the victims/their legal heirs.

**18. Safety- Measure for the worker(s) deployed.**

The Licensee shall be responsible for taking all the Safety Measures including provision of hand held Gas-Detectors, Gas-Masks, Protective-Gear, Oxygen-Mask with Oxygen- Cylinder and First Aid Box etc. and such

other Measures as specified in Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act -2013 and Rules made there under including these Regulations.

19. **Disposal of Septage.**

(a) The Licensee shall dispose off Septage only at the locations notified by the Delhi Jal Board from time to time.

(b) The Licensee shall submit duly signed Septage collection and disposal form prescribed at Annexure -2 of these Regulations duly filled-in to the official of the Delhi Jal Board deployed to receive the Septage at the notified locations.

20. **Training of worker(s).**

The Licensee shall be responsible for periodic training of the worker(s) deployed in collection, transportation and disposal of the Septage.

21 **Regular Health Check up of worker(s)**

The Licensee shall be responsible for ensuring that every worker(s) deployed under goes Health Check-up at least twice per year and submit record of the same to Delhi Jal Board failing which the licensee shall be liable to pay penalty as notified from time to time .

22. **Insurance**

The worker(s) deployed by the Licensee shall be insured to cover compensation to be paid to the victims /their legal heirs under IN PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION Act 2013 & APEX Court's order dated 27-03-2014 in Writ Petition No.583 of 2003 (Safai Karamchari Andolan and Ors. V/s Union of India & Ors.) in the eventuality of accident during the process of Cleaning, Transportation and Disposal of Septage.

23. **Cancelation of License.**

In case of violation of any of the provisions of IN PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION Act-2013 including these Regulations, the Licensee shall be liable to pay penalty as notified from time to time, including the Cancellation of license and forfeiture of performance guarantee as per the recommendation of Committee or Designated Officer (s).

## CHAPTER IV

### Disposal of Septage

24. **Identification of Disposal Sites**

The Delhi Jal Board will identify and notify the Sewage Pumping Stations and Sewage Treatment Plants where the Septage shall be disposed of by the License vendor(s).

25. **Creation of Infrastructure to Receive the Septage.**

The Board will create necessary infrastructure and provide necessary equipments at the notified locations, to facilitate the disposal of Septage brought by the License vendor(s).

**26. Deployment of Staff to Receive the Septage**

The Delhi Jal Board shall deploy sufficient staff at each notified locations, to receive the Septage and dispose it off through the Sewage Treatment Plants and Sewage Pumping Stations as the case may be.

**27. Timing to Receive the Septage**

The Septage will be received by the staff deployed by the Delhi Jal Board at each notified location during the hours as notified from time to time.

**28. Industrial Waste not to be received.**

The disposal of septage containing the Industrial waste shall not be permitted at the notified locations.

**29. Training in Septage Management**

The staff deployed by Delhi Jal Board at the notified locations will be trained for receiving and disposal of Septage.

**CHAPTER V****MISCELLANEOUS****30. Display of License and Colour Coding on the Vehicle**

(a) A copy of License shall be prominently displayed on the vehicle used for transportation of Septage.

(b) The vehicle/ container/tanker shall be painted with Yellow colour duly marked with (the precaution) in Red Colour “SEPTAGE TANK” (in English) and

“ ” (in Hindi).

**31. Installation of GPS System**

Each Vehicle used for Transportation of Septage shall be fitted with GPS Device and Access Rights of the same shall be given to the respective District Magistrates and the Agency Notified by District Magistrates for tracking of such vehicles.

**32. Dispute Resolution Clause**

Any dispute, arising out or in the connection with the operation of these regulations, shall be resolved under Indian Laws by competent Court of Law having jurisdiction of Delhi only.

By order and in the name of Hon'ble Minister (UD)  
of National Capital Territory of Delhi  
**P.K. SHUKLA, Section Officer(Water)**

**ANNEXURE-( 1)**

**(See Regulation -3)**

**LICENSE FOR COLLECTION AND TRANSPORTATION OF SEPTAGE**

In accordance with all the terms and conditions of the By-laws/ Regulations the special License conditions accompanying this License and applicable rules, laws of Government of N.C.T. of Delhi permission is hereby granted to:

NAME OF LICENSEE.....

ADDRESS.....

.....  
.....

For the disposal of Septage from Septic Tank at the .....SPS/ STP of DJB.

This License is based on information provided in the Septage Transporter License application.

This License is effective for the period set forth below, may be suspended or revoked for Condition of Non Compliance and is not transferable. The original License shall be kept on file in the Licensee's office. A copy of this License shall be carried in every registered vehicle used by the Licensee.

EFFECTIVE DATE:- \_ \_ \_ \_ \_

EXPIRATION DATE :- \_ \_ \_ \_ \_

License is liable to be cancelled in case of violation of any Acts, Rules and Regulations relating to the operation of Septage System or in cases of Safety protocols not being adhered to or in case of non-permitted disposals.

Signature with Stamp

**ANNEXURE-(2)****(See Regulation -5)****PERFORMA OF APPLICATION FOR THE LICENSE FOR COLLECTION, TRANSPORTATION AND DISPOSAL OF SEPTAGE**

To,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PASTE PHOTO  
(SELF  
ATTESTED)

1. Name of the applicant: Shri/Ms \_\_\_\_\_

2. Nationality: Indian \_\_\_\_\_ Other \_\_\_\_\_

3. Address: Regd. Office: \_\_\_\_\_

Head office: \_\_\_\_\_

4. Telephone No.: (O) \_\_\_\_\_ Mobile No. \_\_\_\_\_ Email ID \_\_\_\_\_

5. Registration No. of Vehicle: \_\_\_\_\_

6. Pollution Certificate of the Vehicle valid up to: \_\_\_\_\_

7. Insurance of the Vehicle valid up to: \_\_\_\_\_

8. Fitness of the Vehicle valid up to: \_\_\_\_\_

9. Vehicle, w

hether fitted with GPS: \_\_\_\_\_

10. Details of the vehicles indicating leak proof, odour and spill proof having proper vacuum/ suction and discharging arrangement (Document proof of any may be enclosed).

11. Processing fee for License Rs. (As prescribed by Delhi Jal Board)

D.D. No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Bank \_\_\_\_\_

I/We certify that information given by me/us in column 1 to 11 are true to the best of my knowledge and belief. I also certify that I have read and understood the attached terms and conditions 1 to 13 and agree to abide by them. I agree that if any information given by me is found wrong the application for License will be liable for cancellation at any time.

Signature(s) of applicant(s)

Date: \_\_\_\_\_

No. of document attached: \_\_\_\_\_

**ANNEXURE-(3)**

(See Regulation –12-B)

**COLLECTION AND TRANSPORT RECORDS FORM****Sample Form to be filled by Licensee****i. Identification of Waste:**

a) Volume

b) Type:\_\_\_\_\_

Septic Tank\_\_\_\_\_Others

c) Address

**ii. Details of Waste Generator:**

a) Name

b) Phone Number

c) Address

d) Pin

The undersigned being duly authorized does hereby certify the accuracy of the source and type of wastewater collected and transported

Date\_\_\_\_\_Signature (of the generator/owner/occupier)

**iii. Details of Transporter/Operator:**

a) Company Name

b) Permit No.

c) Vehicle License

d) Pump out date

The above described wastewater was collected and disposed by me to the disposal facility name below and was discharged. I certify that the foregoing is true and correct.

e) **Signature of authorized agent and title:**\_\_\_\_\_**iv. Acceptance by\_\_\_\_\_DJB's authorized SPS/STP**

The above transporter delivered the described Septage to this disposal facility and it was accepted.

Disposal Date\_\_\_\_\_Amount Collected from Transporter\_\_\_\_\_

Signature of authorized signatory and title\_\_\_\_\_

**NOTE: SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF DELHI WATER BOARD SEPTIC TANKWASTE MANAGEMENT REGULATIONS 2018 AND ORDERS/GUIDELINES ISSUED BY THE BOARD UNDER THESE REGULATIONS FROM TIME TO TIME.**

**TERMS AND CONDITIONS**

1. The licensee will engage only trained worker(s) having valid certificate of training from the recognized institution or the department. The Licensee shall be responsible for taking all the Safety Measures including provision of hand held Gas-Detectors, Gas-Masks, Protective-Gear, Oxygen-Mask with Oxygen- Cylinder and First Aid Box etc. and such other Measures as specified in IN PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS



MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION Act -2013 and Rules made thereunder including these Regulations.

**2. License to be issued by the Delhi Jal Board.**

Designated officer(s) of Delhi Jal Board will issue License for Collection and Transportation of Septage to notified locations.

License will be issued in the format, prescribed in **Annexure –(1)**, of these Regulations and will be valid for a period of five years from the date of issue, unless revoked earlier.

**3. Fee for Collection/Transportation of Septage.**

- (a) The fee for collection and transportation of Septage up to notified locations at Sewage Pumping Station(s)/Sewage Treatment Plant(s) shall be as notified by the Designated officer of Delhi Jal Board from time to time.
- (b) Licensee shall not charge any amount from the Owner/Occupier of the Building in excess to the amount notified from time to time.
- (c) Any demand for fee for collection and transportation of Septage in excess of the notified fee shall make the Licensee liable for cancellation of License and imposition of penalty prescribed for violation of these Regulations.

**4. Application Fee for the License**

Delhi Jal Board shall charge application fee per vehicle as prescribed from time-to-time for processing the application to grant the License. The fee will be Non-refundable and the same can be paid electronically or by Demand Draft in favour of Delhi Jal Board.

**5. Performance Guarantee.**

The Licensee shall deposit prescribed amount per vehicle, notified from time-to-time as performance Guarantee, in the form of Bank Guarantee which will be forfeited in case of any violation under the Regulations.

**6. Vehicles for Transportation of Septage.**

The Septage shall be transported only in the Vehicles approved for these purposes by the Designated Officer of Delhi Jal Board.

**7. Precautions during Transportation.**

The Licensee shall ensure that there will be no leakage/spillage of the Septage during transportation from the collection point to the notified location for disposal.

**8. Preventive measure in case of accident.**

The vehicle carrying Septage shall be fitted with required equipments to avoid the pollution during the movement of the vehicle from Collection point to the notified disposal location.

**9. Liability of Licensee in the eventuality of accident.**

The Licensee shall be fully and solely liable for any damage cause to any person, vehicles, property and environment in the eventuality of any accident or disaster and shall be liable on its own to pay any damage charges /compensation, if any imposed by the authority /court of law there to, to the victims/their legal heirs.

**10. Safety- Measure for the worker(s) deployed.**

The Licensee shall be responsible for taking all the Safety Measures including provision of hand held Gas-Detectors, Gas-Masks, Protective-Gear, Oxygen-Mask with Oxygen- Cylinder and First Aid Box etc. and such other Measures as specified in IN PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION Act -2013 and Rules made there under including these Regulations.

**11. Disposal of Septage.**

(a) The Licensee shall dispose off Septage only at the locations notified by the Delhi Jal Board from time to time.

(b) The Licensee shall submit duly signed Septage collection and disposal form prescribed at Annexure -3 of these Regulations duly filled-in to the official of the Delhi Jal Board deployed to receive the Septage at the notified locations.

**12. Training of worker(s).**

The Licensee shall be responsible for periodic training of the worker(s) deployed in collection, transportation and disposal of the Septage.

**13. Regular Health Check up of worker(s)**

The Licensee shall be responsible for ensuring that every worker(s) deployed under goes Health Check-up at least twice per year and submit record of the same to Delhi Jal Board failing which the licensee shall be liable to pay penalty as notified from time to time .

**14. Insurance**

The worker(s) deployed by the Licensee shall be insured to cover compensation to be paid to the victims /their legal heirs under IN PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION Act 2013 & APEX Courts order dated 27-03-2014 in Writ Petition No.583 of 2003 in the eventuality of accident during the process of Cleaning, Transportation and Disposal of Septage.

**15. Cancellation of License.**

In case of violation of any of the provisions of IN PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION Act-2013 including these Regulations, the Licensee shall be liable to pay penalty as notified from time to time, including the Cancellation of license and forfeiture of performance guarantee as per the recommendation of Committee or Designated Officer (s)

**16. Identification of Disposal Sites**

The Delhi Jal Board will identify and notify the Sewage Pumping Stations and Sewage Treatment Plants where the Septage shall be disposed of by the License vendor(s).

**17. Creation of Infrastructure to Receive the Septage.**

The Board will create necessary infrastructure and provide necessary equipments at the notified locations, to facilitate the disposal of Septage brought by the License vendor(s).

**18. Deployment of staff to receive the Septage**

The Delhi Jal Board shall deploy sufficient staff at each notified locations, to receive the Septage and dispose it off through the Sewage Treatment Plants and Sewage Pumping Stations as the case may be.

**19. Timing to receive the Septage**

The Septage will be received by the staff deployed by the Delhi Jal Board at each notified location during the hours as notified from time to time.

**20. Industrial Waste not to be received.**

The disposal of septage containing the Industrial waste shall not be permitted at the notified locations.

**21. Training in Septage Management**

The staff deployed by Delhi Jal Board at the notified locations will be trained for receiving and disposal of Septage.

**22. Display of License and colour coding on the vehicle**

(a) A copy of License shall be prominently displayed on the vehicle used for transportation of Septage.

(b) The vehicle/ container/tanker shall be painted with Yellow colour duly marked with (the precaution) in Red Colour "SEPTAGE TANK" (in English) and

“ ” (in Hindi).

23. **Installation of GPS System**

Each Vehicle used for Transportation of Septage shall be fitted with GPS Device and Access Rights of the same shall be given to the respective District Magistrates and the Agency Notified by District Magistrates for tracking of such vehicles.

24. **Application for License**

The application for obtaining License for collection, transportation and disposal of Septage shall be submitted in the format attached as Annexure-2 of the regulations along with the following documents:-

- i) Format available as above to be duly filled up.
- ii) List of number of vehicles with registration number and year of Manufacture.
- iii) Self-attested Copy of Valid Permits of vehicles(s) obtained from the Transport Authority.
  
- iv) Self-attested copy of proof of address for communication.
- v) List of worker(s) viz Vehicle Driver, Helper etc.
- vi) List of safely equipments with each vehicle
- vii) Application fee in the form of DD/ Pay Order amounting to Rs (As prescribed from time to time) per vehicle drawn in favour of Delhi Jal Board.
- viii) Performance Guarantee in form of Bank Guarantee in favour of Delhi Jal Board amounting to Rupees (As notified by designated officer) only per vehicle.
- ix) Applicant to bring along Original Documents for verification of Permit of vehicles(s) and address proof for verification at the time of submission of the application.

**It is hereby undertaken that the above stated terms and conditions have been clearly understood and I/we fully agree to abide by the same.**

Date:

Name:

Place:

Address:

Contact no:

**Modified Standard Operating Practices for workers safety in sewer lines, septic tanks and closed pits:**

1. **Background:** Hon'ble Lt. Governor convened a meeting on 21.08.2017 taking cognizance of many deaths of sewer workers in Delhi. Hon'ble Lt. Governor expressed concerns on lack of awareness about mandatory actions that are needed to carry out cleaning, removing blockage of drains, septic tanks, sewers etc. under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act - 2013, "PEMS Act-2013" annexed as **Annexure -1**. The Hon'ble Supreme Court in the matter WP(C) 583/2003 has also given judgment in this regard which is annexed as **Annexure-2**. Hon'ble Lt. Governor constituted a three members committee comprising of Chief Executive Officer (Delhi Jal Board), Commissioner (South Delhi Municipal Corporation) and Chairman (New Delhi Municipal Council). Detailed deliberations were held and; thereafter, detailed Standard Operating Procedure (SOP) have been formulated which are enumerated herein below for implementation as per provisions of PEMS Act – 2013 and General Safety Measures of worker engaged in cleaning, removal of blockage in drain, sewer, septic tanks etc. within the jurisdiction of Govt. of NCT of Delhi.

**2. Jurisdiction:**

S. N.	Area of working	Authority/Department responsible
1.	Entire sewerage network in sewerred areas being maintained by DJB within Delhi Municipal limits.	Delhi Jal Board
2.	Sewer line, private septic tanks/close pits in Delhi Cantonment Area.	Delhi Cantonment Board
3.	Sewer lines/ septic tanks if any, maintained in New Delhi Municipal Council Limit	New Delhi Municipal Council
4.	All septic tanks and the House sewer connections constructed by private entities etc. where sewer lines are not being maintained by DJB.	All Municipal Corporations, Delhi Cantonment Board, New Delhi Municipal Council, Delhi Development Authority etc. and the private entities which is owner of the premises.
5.	Apartments/ Group Housing Societies/ Malls/Pvt. Hospitals etc.	Resident Welfare Associations/ Owner of the premise
6.	Government Premises	The respective authority i.e Delhi Development Authority, PWD, CPWD, all Municipal Corporations, Delhi Cantonment Board, Delhi Urban Shelter Improvement Board etc.; maintaining the premise

**3. Procedure:****a. Working in Sewered areas:**

After receiving any complaint, information, work regarding to blockage in sewer line, following standard operating procedure will be adopted: -

In Compliance to the Rule 3(1) of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers (PEMS) Act 2013, as far as possible, the intervention of manual cleaning be avoided. All the maintenance work of sewer line will have to be completely switched over to mechanical machinery. If, necessary for the workers to go down in the manhole, only trained workers will be assigned this job after taking all safety measures.



1. In compliance to Rule 6(3) j of the PEMS Act 2013, the Assistant Engineer(AE)/Junior Engineer(JE)/Supervisor shall have all emergency contract number of Ambulance, Police, Fire Brigade, nearby hospitals before issuance of work permit for man entry to provide immediate relief in case of any accident.
2. In compliance to Rule 6(3) a, of the PEMS Act 2013 at least three workers along with supervisor not less than the rank of Assistant Sanitary Inspector(ASI)/ Sanitary Inspector(SI)/Junior Engineer(JE) will be associated.

All these workers shall mark their attendance with the Supervisory Staff as mentioned above before leaving to attend the work of removal of blockage, cleaning etc.

3. In compliance to Rule 6(3) q, r, s of the PEMS Act 2013, before entering the sewer manhole, the manhole cover of two or three manholes on both sides (downstream & upstream) of the work place will be opened and barricaded with sign board on both sides properly to restrict the entry of other persons. These manholes will be left open for minimum one hour before entry to ensure that all the obnoxious gases are emitted. No unauthorized person shall be allowed nearby these manholes. Ignition and smoking shall be strictly prohibited near and around the manholes.

4. In compliance to Rule 7(i) of the PEMS Act 2013 the blowers/ exhaust fans will be placed on either side of the manhole before and during working in the manholes to ventilate the sewer line. All the safety gadgets as provided in the Manual Scavenging Rules, 2013 should be available at the work site and their functionality should be checked by the supervisor before use. First-aid box, Ambulance or departmental vehicle should be available near the work site to provide first aid or to carry any victim to the hospital in case met with the accident.



5. In compliance to Rule 6(3) b, it shall be ensured by the AE/JE/Supervisor that none of the toxic gases are present inside the sewer line for allowing the workers to go inside. The limit of gases is tabulated as under: -

S. No.	GAS	MAXIMUM LIMIT FOR 1 HOUR EXPOSURE	MAXIMUM LIMIT FOR 8 HOUR EXPOSURE
1	CO	0.04% by volume in air	0.005% by volume in air
2	H2S	0.02% by volume in air	0.001% by volume in air
3	CH4	Probably no limit provided oxygen percentage is sufficient	1% by volume in air
4	O2	Oxygen level should be 19.5 – 21 % by volume in air	

6. The work permit as enclosed at **Annexure-3** shall be issued by the supervisor to the worker after checking all the gases and ensuring all the safety measures.

7. Minimum of two helpers at ground level near the work place shall be provided for each worker permitted to scale down the work place under the guidance of the supervisor. Before permitting any worker to go inside the manhole, the supervisor shall check about



the fitness of the worker, use of all safety gadgets and presence of all the gases within permissible limit as per the Provisions of Rules framed under PEMS Act -2013.

8. No material shall be allowed to be stacked on the verge of the manhole which may fall inside the manhole and harm the worker.
9. The following Protective Gear and Safety Equipments shall be available at work site as mentioned in clause (d) of Sub-section(1) of Section (2) of PEMS Act-2013: -

- (i) Safety body clothing/safety body harness/Safety belt,
- (ii) Normal Face Mask,
- (iii) Safety Torch,
- (iv) Hand Gloves,
- (v) Safety Goggles,
- (vi) Safety Helmet,
- (vii) Emergency Medical Oxygen Resuscitator Kit,
- (viii) Gas Monitor,
- (ix) Head Lamp,
- (x) Reflecting Jacket,
- (xi) Guide Pipe Set,
- (xii) Safety Tripod Set,
- (xiii) Wadder Suit,
- (xiv) Chlorine Mask,
- (xv) Air Compressor and Blower,
- (xvi) Modular Airlines Supply Trolley System,
- (xvii) Full Face Mask,
- (xviii) Safety Gumboots,
- (xix) Raincoat.



10. As soon as, the worker is scaled down with the help of chain pulley or ladder, the supervisor shall observe the movement of the worker and if the worker is uncomfortable, he shall be taken out immediately. In case the worker is stepping down through foot-rests, it should be checked whether all the footrests are properly fixed and one standby ladder is lowered and fixed properly, besides chain pulley fixed on tripod over the manhole.



11. Sudden breeze may be considered as a warning of rise in water level and possible flooding. Thereafter, worker shall be immediately withdrawn from the work place.

12. The oxygen cylinder shall be checked to ensure the gas is available at the required pressure and the availability of all required medicines in the first-aid box ensuring the expiry date thereof respectively.
13. The worker shall not be allowed inside the manhole more than 15 minutes at one stretch. In case of high temperature, this type of work should be avoided.
14. It shall be ensured by the supervisor that the worker engaged for cleaning of septic tanks/ sewer has not consumed alcohol or is under influence of any other drug.
15. The two helpers standing at ground level near the manhole/work place shall be attentive, alert and shall continue talking with the worker(s) inside the manhole to ensure about their safety.
16. After completion of the work, the worker shall take bath with antiseptic soap and massage with mustard oil.
17. After completion of the work, all the manholes shall be covered properly and site shall be cleaned in all respect.
18. The worker deployed by the contractor for cleaning, removal of blockage of sewer, septic tank, drains etc. shall be insured by the contractor for minimum Rs.10 lacs towards the compensation to be paid in the eventuality of an accident during the process of cleaning, transportation and disposal of septage as per 'PEMS ACT- 2013' and APEX Courts order Dated 27.03.2013 in writ petition No583 of 2003.



**b. Working in Unsewered areas:**

Since the entire area within the jurisdiction of Govt. of NCT of Delhi has not been covered with sewerage system; therefore, in the remaining areas, the soil waste is being disposed off either through drains or septic tanks. Incidents of death have occurred during cleaning of the septic tanks within the premises of private and public entities. The Standard Operating Procedure for these areas as under:

1. The District Magistrate of the area will ensure that only license holders [vendor(s)] registered with Delhi Jal Board carry out the cleaning, transport and disposal of septage/sludge from the septic tanks, drains etc. in their respective area of jurisdiction. The enforcement of these Regulations will be controlled by the Committee headed by the area District Magistrate [Deputy Commissioner (Revenue)]; however, the District Magistrate may co-opt Committee Members from various Government/Municipalities/Public Undertakings. The member of Committee from Delhi Jal Board will act as Member Secretary of the above mentioned Committee.
2. The license vendor(s) will engage only trained workers having valid certificate of training from the recognized institution or the department. The vendor will also ensure that required Safety Gadgets as specified in PEMS Rules-2013 are available and used at work place. Further, Standard Operating Procedure as in Part – A above shall be applicable in case worker scales down for cleaning, removal of blockage etc.
3. It shall be mandatory for each owner/occupier of the building to engage the services of only those vendor(s) which possess valid license issued by the Delhi Jal Board.

4. The owner/occupier shall confirm that the license issued to the vendor(s) is valid on the date of execution of work. She/he shall also append her/his signature to the collection record and vendor(s) shall append his signature on transport record annexed as **Annexure - 4**.
5. The fee for collection and transportation of Septic Tank Waste (septage) upto notified locations at SPS/STP as well as locations for disposal of septage shall be notified by the Designated Officer of Delhi Jal Board from time to time.
6. The Licensee vendor(s), not having the safety gadgets as mentioned above or demanding fee for collection and transportation of septage in excess of the fee prescribed by the Designated Officer of Delhi Jal Board shall render the licensee liable for cancellation of license and imposition of penalty prescribed for violation of these Regulations.
7. The Septage shall be transported only in the vehicles approved for this purposes by the Designated Officer of Delhi Jal Board.
8. The licensee vendor(s) shall ensure that there is no leakage/spillage of the septage during transportation, from the collection point to the notified location for disposal.
9. The vehicle carrying septage shall be fitted with required equipments to take care of pollution due to any accident during the movement of the vehicle from Collection point to the notified disposal location.
10. The licensee vendor(s) shall be fully and completely liable for any damage to any person, vehicles, property and environment in case of any accident or disaster.
11. The licensee vendor(s) shall be responsible for taking all the safety measures including provision of hand held gas detectors, gas masks, protective gear, oxygen mask with oxygen cylinder and first aid box etc. and such other measures as prescribed by the Designated Officer of Delhi Jal Board for grant of licensee for the people deployed for cleaning, collection and transportation of septage.
12. The licensee vendor(s) shall dispose of septage only at the locations notified by the Designated Officer of Delhi Jal Board as per notified time.
13. It shall be ensured by the licensee vendor(s) that no industrial waste is disposed of at the notified locations.
14. Any licensee vendor(s) found dumping septage other than the notified locations shall be liable to pay the penalty of Rs. 50,000/- or as notified from time-to-time, per default. The license shall be cancelled for two defaults.
15. The licensee vendor(s) shall be responsible for periodical training of the staff deployed in collection, transportation and disposal of the septage, use of protective equipment for taking measures to minimize the damage to the environment.
16. The licensee vendor(s) shall be responsible for ensuring that every person deployed under goes health check-up at least twice every year and submit record of the same to the Designated Officer of Delhi Jal Board at the time of renewal of license.
17. The worker deployed by the licensee vendor(s) shall be insured for minimum Rs.10 lacs towards the compensation to be paid in the eventuality of an accident during the process of cleaning, transportation and



disposal of septage as per PEMS ACT 2013 and APEX Courts order Dated 27.03.2013 in writ petition No583 of 2003.

18. A copy of license shall be prominently displayed on the vehicle used for transportation of septage. The vehicle/ container/tanker shall be painted with Yellow color duly marked with (the precaution) in Red Color "SEPTIC TANK WASTE" (in English) and "मलकूट" (in Hindi).

#### ANNEXURE-4

#### COLLECTION AND TRANSPORT RECORDS FORM

##### Sample Form to be filled by Licensee

##### i. Identification of Waste:

- a) Volume  
 b) Type: \_\_\_\_\_  
     Septic Tank \_\_\_\_\_ Others  
 c) Address

##### ii. Details of Waste Generator:

- a) Name  
 b) Phone Number  
 c) Address  
 d) Pin

The undersigned being duly authorized does hereby certify the accuracy of the source and type of wastewater collected.

Date \_\_\_\_\_ Signature of septage generator

##### iii. Details of Transporter/Operator:

- a) Company Name  
 b) Permit No.  
 c) Vehicle License  
 d) Pump out date

The above described wastewater was collected and disposed by me to the disposal facility name below and was discharged. I certify that the foregoing is true and correct.

e) Signature of authorized agent and title: \_\_\_\_\_

##### iv. Acceptance by \_\_\_\_\_ DJB's authorized SPS/STP

The above transporter delivered the described septage to this disposal facility and it was accepted.

Disposal Date \_\_\_\_\_ Amount Collected from Transporter \_\_\_\_\_

Signature of authorized signatory and title \_\_\_\_\_

NOTE: SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF DELHI WATER BOARD SEPTIC TANK WASTE MANAGEMENT REGULATIONS 2015 AND ORDERS/GUIDELINES ISSUED BY THE BOARD UNDER THESE REGULATIONS FROM TIME TO TIME.